

उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक ...१५१.../रा०

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
गोला।

रामगढ़, दिनांक...०७.../...०१.../२०२०

विषय : विविध वाद सं०-०६/०५-०६/१२/०६-०७ चुपटा महतो बनाम महेश महतो
संबंधित मूल अभिलेख वापस करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विविध वाद सं०-०६/०५-०६/१२/०६-०७ चुपटा महतो बनाम महेश महतो गोला अंचल अन्तर्गत ग्राम-डुण्डीगाछी, थाना सं०-७०, खाता सं०-९५, प्लॉट सं०-९६४, कुल रकवा-१८.७० एकड़ सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास भूमि से संबंधित है। विषयगत वाद में आपके द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा नहीं किया गया है।

अतः विविध वाद सं०-०६/०५-०६/१२/०६-०७ चुपटा महतो बनाम महेश महतो के अभिलेख पर अंतिम आदेश पारित करते हुए मूल अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस किया जाता है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।
०७/०१/२०२०

सू. अ. अ. अ.
५१५. वि. अ. अ.
१५/१/२०२०
K.C